05/12 2019 THU 1:11 PM [TX/RX NO 7734] 0001

Office of DIG (P/T) H.Q.
Reg. No. 4244
Date 05/12/19

Office of ADG (Telecom)
Reg. No. 8
Date 5/12/19

MR-42

मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण / शीर्ष प्राथमिकता / फैक्स/

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ–।
टावर–1, चतुर्थ तल,सिग्नेचर भवन गोमती नगर विस्तार,सेक्टर–7

संख्याः18 / ए–सेवा0(विविध)2019 दिनांकः–दिसम्बर ,04 2019

सेवा में,

1–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
2–सेनानायक,पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश।

18

विषयः– पुलिस विभाग के अराजपत्रित दिवंगत सरकारी सेवकों के आश्रितों को ''उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 (यथासंशोधित)''के प्राविधानों के अनुरूप मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

......

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित तथा अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे,उ0प्र0,लखनऊ सहित अन्य को पृष्ठांकित शासन के पत्र संख्याः1732 / 6–पु0–10–2019–1200(114)2010, दिनांक 05–11–2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यथोचित सूचना के अभाव में प्रकरणों के निस्तारण में शासन के समक्ष कठिनाई उत्पन्न होने के कारण 23 बिन्दुओं की सूचना को परिमार्जित / संवर्धित करने की आवश्यकता प्रतीत होने के कारण शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 31 बिन्दुओं का प्रारूप निर्धारित करते हुए निर्धारित प्रारूप में अंकित बिन्दुओं के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में सूचना के साथ यथोचित प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतएवं अनुरोध है कि कृपया शासन के पत्र दिनांक 05.11.2019 (छायाप्रति संलग्न) में निहित निर्देशानुसार अब शासन द्वारा निर्धारित 31 बिन्दुओं पर सूचना तैयार कर यथोचित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये ताकि पुलिस मुख्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त समय सीमा में छूट का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

DIG (HQ) / JRO(A)

(सुरेन्द्र नाथ तिवारी)
अपर पुलिस अधीक्षक,कार्मिक,
उत्तर प्रदेश।

Addl D.G.P (Telecom)
U.P. Lucknow
5/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक,रेलवे,उ0प्र0, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक,प्रशिक्षण,उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक,अग्नि शमन सेवायें,उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक,अभिसूचना मुख्यालय,उ0प्र0, लखनऊ।
5– अपर पुलिस महानिदेशक,दूर संचार, रेडियो मुख्यालय,उ0प्र0, लखनऊ।
6– पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय,उ0प्र0, लखनऊ।

ARO(Ad)

SRO(Ad)
06/12/19

DEC-05-2019 14:56 From: To:05222333346 Page:1

05/12 2019 THU 1:12 PM [TX/RX NO 7734] 0005

फैक्स / ई-मेल / महत्वपूर्ण

संख्या–1732 / 6–पु0–10–2019–1200(114) / 2010

प्रेषक,

प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 05 नवम्बर, 2019

विषयः–पुलिस विभाग के अराजपत्रित दिवंगत सरकारी सेवकों के आश्रितों को "उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित)" के प्राविधानों के अनुरूप मृतक आश्रित के रूप मे सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि विषयगत मामले में पूर्व में निर्धारित 23 बिन्दुओं की सूचना मृतक आश्रित सेवायोजन से सम्बन्धित प्रस्ताव के साथ संलग्न कर उपलब्ध करायी जाती है। प्रायः यह पाया गया है कि 23 बिन्दुओं की पूरी सूचना सम्बन्धित जनपद / इकाई द्वारा तैयार कर उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दी जाती है तथा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा 23 बिन्दुओं की सूचना एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक परीक्षण नहीं किया जाता है तथा जनपद / इकाई द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों को उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा बिना परीक्षण किये एक पत्र (कवरिंग) लगाकर शासन को सन्दर्भित कर दिया जाता है। यथोचित सूचना के अभाव में प्रकरणों के निस्तारण में शासन के समक्ष कठिनाई उत्पन्न होने के कारण उपर्युक्त 23 बिन्दुओं की सूचना को परिमार्जित / संवर्धित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 31 बिन्दुओं का प्रारूप निर्धारित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में 31 बिन्दुओं की सूचना का निर्धारित प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पुलिस विभाग के अराजपत्रित दिवंगत सरकारी सेवकों के आश्रितों को "उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित)" के प्राविधानों के अनुरूप मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में उपुर्यक्त निर्धारित प्रारूप मे अंकित बिन्दुओं के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में सूचना के साथ यथोचित प्रस्ताव तैयार कर उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराये जायं।

संलग्नक –यथोपरि।

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

DEC-05-2019 14:58 From: To:05222333346 Page:5

05/12 2019 THU 1:11 PM [TX/RX NO 7734] 0002

संख्या–1732(1) / 6–पु0–10–2019–1200(114) / 2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

3– अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।

4– अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

5– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6– अपर पुलिस महानिदेशक,दूरसंचार, रेडियो मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7– पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

8– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सेनानायक, उ0प्र0।

9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव।

DEC-05-2019 14:57 From: To:05222233346 Page:2

पुलिस विभाग के अराजपत्रित दिवंगत सरकारी सेवकों के आश्रितों को "उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित)" के प्राविधानों के अनुरूप मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्धारित प्रारूप।

1.	मृतक कार्मिक का नाम/पदनाम	
2.	मृत्यु की तिथि एवं कारण	
3.	मृत्यु के समय कार्मिक की तैनाती का विवरण	
4.	क्या मृत्यु के समय कार्मिक की पत्नी/पति किसी सरकारी सेवायोजन में थे, यदि हां, तो उसका विवरण	
5.	सेवायोजन हेतु उसके आश्रित का नाम एवं मृतक से सम्बन्ध तथा जन्म तिथि	
6.	आवेदित पद का नाम	
7.	मृतक आश्रित नियमावली, 1974(यथासंशोधित) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में वैध दावेदारों का विवरण	
8.	उक्त दावेदारों में से सेवायोजन हेतु एक दावेदार के पक्ष में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये शपथ पत्र का विवरण	
9.	मृतक आश्रित के 18 वर्ष आयु पूर्ण करने की तिथि	
10	कार्मिक के मृत्यु के 05 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	
11	कार्मिक की मृत्यु की तिथि के 05 वर्ष के अन्दर सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया या नहीं,	
12	यदि नहीं तो कब किया गया और विलम्ब का कारण	
13	विलम्ब में 05 वर्ष से अतिरिक्त सेवायोजन में कितनी अवधि का शिथिलीकरण अपेक्षित है,	
14	समय-सीमा में शिथिलता हेतु प्रशासनिक विभाग की स्पष्ट संस्तुति एवं शिथिलीकरण की अवधि अंकित करते हुये औचित्य सहित प्रस्ताव	
15	प्रकरण के सम्बन्ध में यदि कोई वाद संस्थित हो, तो उसकी जानकारी.	
16	पत्रावली में रक्षित अभिलेखों की स्थिति- 1- मृतक कार्मिक का मृत्यु प्रमाण-पत्र 2- आवेदक की शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित अभिलेख 3- परिवार के सदस्यों द्वारा दिये गये शपथ--पत्र 4- यदि कोई वाद हो तो रिट याचिका की प्रति तथा मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति। 5- सिविल जेथ होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रति।	
17	यदि प्रकरण मा0 न्यायालय के आदेश से आच्छादित है तो मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मुख्य स्थायी अधिवक्ता का विधिक परामर्श प्राप्त कर उपलब्ध करायें।	
18	मृतक कार्मिक के परिवार के सदस्यों की वरीयता क्रम के अनुसार	

	विवरण (नाम/शैक्षिक योग्यता(हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि सहित)/वैवाहिक स्थिति (विवाह की तिथि सहित)/जन्मतिथि/व्यवसाय)	
19	मृतक कार्मिक की मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों की आयु (जन्मतिथि के आधार पर)	
20	मृतक आश्रित द्वारा हाई-स्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक या अन्य कोई योग्यता धारित की गयी हो तो समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां	
21	यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा ससमय मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रयास किया गया है तो उसमें कृत कार्यवाही का संक्षिप्त इतिहास तथा साक्ष्य, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी तो उसका भी विवरण	
22	मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के नियम-5 के उपनियम (तीन) में विद्यमान परन्तुक के सापेक्ष प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जाय कि क्या निहित विलम्ब के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख/सबूत प्रस्तुत किये गये हैं तथा क्या प्रकरण में असम्यक कठिनाई (Undue Hardship) परिलक्षित होती है अथवा नहीं।	
23	प्रकरण में वरीयता कम में मृतक आश्रित के ऊपर विद्यमान सदस्यों के द्वारा ससमय आवेदन प्रस्तुत न किये जाने का कारण	
24	प्रकरण में निहित विलम्ब के शिथिलीकरण हेतु स्पष्ट संस्तुति तथा संस्तुति का औचित्य/आधार	
25	क-मृतक कार्मिक के परिवार को मिलने वाली मासिक पेंशन एवं उसका प्रकार (साधारण/असाधारण) ख-मृतक कार्मिक के परिवार के पास उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का विवरण तथा उससे होने वाली आय ग-किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली आय	
26	मृतक कार्मिक की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मृतक आश्रित नियमावली के प्राविधानों से अवगत कराया गया या नहीं, यदि नहीं तो क्यों	
27	मृतक कर्मी एवं उसकी पत्नी दोनो की मृत्यु आवेदन करने के लिए निर्धारित पांच वर्ष की समय-सीमा के भीतर हो गयी हो, तो आश्रित का संरक्षण किसके द्वारा किया गया तथा संरक्षक एवं आश्रित दोनो का क्या सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में साक्ष्य सहित विवरण।	
28	यदि प्रकरण में कुटुम्ब की वरीयता के कम में आवेदक आश्रित के ऊपर विद्यमान आश्रित द्वारा विलम्ब का कारण स्वयं का अस्वस्थ होना दर्शाया जा रहा है तो इस सम्बन्ध में आश्रित द्वारा कर्मचारी की मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर के चिकित्सीय अभिलेख उपलब्ध कराये जाय तथा नियुक्ति प्राधिकारी(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक) द्वारा	

	चिकित्सीय अभिलेखों का परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि उक्त आश्रित, सरकारी सेवक की मृत्यु के 05 वर्ष के भीतर सरकारी सेवा हेतु अर्ह था अथवा नहीं।	
29	प्रकरण में कुटुम्ब की वरीयता के क्रम में आवेदक आश्रित के ऊपर विद्यमान आश्रित/आश्रितों द्वारा सेवायोजन हेतु आवेदन न किये जाने का कारण औचित्य सहित बताया जाय।	
30	मृतक कार्मिक के परिवार में यदि किसी अन्य आश्रित की मृत्यु हुई हो तो सम्बन्धित की मृत्यु की तिथि तथा मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें	
31	जनपद कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अंकित सूचनाओं का मिलान/परीक्षण पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने स्तर से गम्भीरता पूर्वक किया जाय तथा स्पष्ट संस्तुति तथा औचित्य भी अंकित किया जाय। परीक्षण कर्ता का नाम, पदनाम तथा परीक्षण दिनांक का भी उल्लेख किया जाय।	